पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार

2021 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या- 488

में

2019 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 11458

==========

1. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, पटना।
2. जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, रोहतास, सासाराम।

.....अपीलार्थी/गण

बनाम

1. धनू प्रसाद सिंह, पुत्र- स्वर्गीय युगल राय, मोहल्ला- मोहनपुर सुशीला निवास, बलदेव भवन रोड, आंचल किराना स्टोर के पास पुनाईचक, थाना- शास्त्रीनगर, जिला पटना।
2. प्रधान सचिव, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
3. महालेखाकार, वीरचंद पटेल पथ, पटना।

..... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

==========

उपस्थिति:

अपीलार्थीगण के लिए : श्री अंजनी कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री शैलेंद्र कुमार सिंह,अधिवक्ता,

निजी अपीलार्थी/ओं के अधिवक्ता: श्री डी. के. सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री आलोक कुमार सिन्हासंख्या-3, अधिवक्ता

श्री अलेक्जेंडर अशोक, अधिवक्ता

महालेखाकार के लिए : श्रीमती रितिका रानी, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ता : श्री एस. रजा अहमद, ए. ए. जी.-5

मो. कामिल अख्तर, के सहायक सलाहकार एएजी-5

==========

भारत का संविधान, 1950–अनुच्छेद 226–देरी और कमी –निगम में सहायक गोदाम प्रबंधक के रूप में काम करते हुए पहले-प्रतिवादी द्वारा राशि का दुरुपयोग–पहले-प्रतिवादी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ आपराधिक कार्यवाही शुरू हुई–अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा 4.12.2008 को बर्खास्तगी का आदेश पारित किया गया; और एक आपराधिक कार्यवाही में उन्हें 6.5.2019 को बरी कर दिया गया था–पहले-प्रतिवादी ने वर्ष 2021 में बर्खास्तगी के अपने आदेश को चुनौती दी थी–विद्वान एकल न्यायाधीश ने 2021 में दिनांक 4.12.2008 को बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देने के संबंध में एक दशक से अधिक समय तक देरी और कमी की व्याख्या नहीं की है–विद्वान एकल न्यायाधीश ने वर्ष 2021 में रिट की अनुमति देने में त्रुटि की है–विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को अपास्त किया कर दिया गया–अपील अनुज्ञात किया गया ।

(पैरा 8 से 10)

*ए.आई.आर. 2016 एस.सी. 300–**निर्भर किया गया***

*(2008) 8 एस.सी.सी. 648–**अस्वीकृत किया गया***

*ए.आई.आर. 1964 एस.सी. 364–**संदर्भित किया गया***

*सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 11458/2019–**असहमति***

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरम माननीय श्री न्यायमूर्ति पी. बी. भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति रमेश चंद मालवीय

मौखिक निर्णय

(निर्णय: माननीय श्री जस्टिस पी. बी. बजंत्री)

तिथी: 16.01.2024

वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील में, अपीलकर्ता-आयोग ने 2019 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 11458 में पारित दिनांक 12.07.2021 के विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश पर हमला किया है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रथम प्रतिवादी-धनू प्रसाद सिंह बिहार राज्य और नागरिक आपूर्ति निगम में सहायक गोदाम प्रबंधक के रूप में काम करते हुए,उन पर आरोप है कि उन्होने 22,75,157.69 रुपये की राशि का दुरुपयोग किया है। इन आरोपों पर, अपीलार्थी मानसिक जांच और आपराधिक कार्यवाही जैसी समानांतर कार्यवाही शुरू करने के लिए आगे बढ़े। शुरू में, उन्हें 28.07.2004 को निलंबित कर दिया गया था और उसके बाद, 23.11.2004 को आरोप-ज्ञापन जारी किया गया था और आगे पूरक आरोप-ज्ञापन 29.01.2005 को जारी किया गया था। प्रथम प्रतिवादी-धनू प्रसाद सिंह ने कथित आरोपों को नकारते हुए आरोप-ज्ञापन में अपना जवाब दाखिल किया और वह अनुशासनात्मक प्राधिकारी से संतुष्ट नहीं हुआ, उसने विभागीय जांच करने के लिए जांच अधिकारी और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करने का फैसला किया और यह प्रतिवादी-धनू प्रसाद सिंह के खिलाफ लगाए गए कथित आरोपों को साबित करने में निष्कर्ष निकाला गया। उस परिणाम तक तक जाँच अधिकारी ने 12.03.2008 को अपनी जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की। अनुशासनात्मक

प्राधिकारी ने जाँच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर 18.03.2008 को जाँच अधिकारी की रिपोर्ट पर पहली बार स्पष्टीकरण मांगने के लिए कारण बताएँ नोटिस जारी करने के लिए आगे बढ़े। प्रथम प्रतिवादी ने पूछताछ अधिकारी की रिपोर्ट के साथ पढ़े गए कारण बताएँ नोटिस पर अपना जवाब प्रस्तुत किया था। इसके बाद, अनुशासनात्मक प्राधिकारी 04.12.2008 को बर्खास्तगी का आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ा।

3. यदि प्रथम प्रतिवादी उस घटना में सेवा में होता तो वह सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेता और 02.01.2010 को सेवा से सेवानिवृत्त हो जाता। इस पृष्ठभूमि में, प्रथम प्रतिवादी ने 2019 का सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 11458 दायर किया, संपूर्ण सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान करने के लिए जैसे कि वह सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुका है और रोहतास, सासाराम, बिहार राज्य खाद्य आपूर्ति निगम से सहायक गोदाम प्रबंधक के पद से 02.01.2010 को सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है। 2019 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 11458 के लंबित रहने के दौरान, वर्ष 2021 में, इस न्यायालय ने कहा कि प्रथम प्रतिवादी-धनू प्रसाद सिंह को कर्मचारी/अधिकारी से बर्खास्त कर दिया गया था और वह सेवानिवृत्ति लाभ लेने के लिए अधिकृत नहीं है। दूसरे शब्दों में, बर्खास्त कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभों का लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं है। तत्पश्चात, रिट अदालत ने प्रतिवादी को वर्ष, 2021 में दिनांकित 04.12.2008 बर्खास्तगी आदेश की वैधता पर सवाल उठाने की अनुमति दी। इस प्रकार, विद्वान एकल न्यायाधीश योग्यता के आधार पर आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़े और याचिका को स्वीकार कर लिया।

4. 2019 के अपीलार्थी-निगम के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 11458 में पारित दिनांक 12.07.2021 के विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए इस पत्र पेटेंट अपील को प्रस्तुत किया।

5. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने दृढ़ता से कहा कि रिट कोर्ट को 2019 की सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 11458 को इस आधार पर खारिज कर देना चाहिए था कि बर्खास्त कर्मचारी सेवानिवृत्ति का लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं है। यह भी समर्पित किया जाता है कि अदालत को प्रथम प्रतिवादी-धन्नू प्रसाद सिंह को बर्खास्तगी आदेश की वैधता पर देर से सवाल उठाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि वर्ष, 2021 में दिनांकित 04.12.2008 बर्खास्तगी आदेश की वैधता पर सवाल उठाने के संबंध में देरी और विलंब के संबंध में कोई अभिवचन नहीं है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि रिट कोर्ट ने देरी की अनदेखी की जैसे कि याचिकाकर्ता की शिकायत केवल मौद्रिक लाभों के संबंध में है ताकि किसी विशेष अवधि के लिए मौद्रिक लाभों में कटौती की जा सके जैसे कि वर्तमान मामले में मौद्रिक लाभों को रिट याचिका दायर करने की तारीख से तीन साल पहले तक सीमित किया गया है। इसलिए, 2019 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 11458 में पारित दिनांक 12.07.2021 के विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को 2019 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 11458 को खारिज करते हुए दरकिनार किया जा सकता है।

6.*इसके विपरीत*, प्रथम प्रतिवादी के विद्वान वकील ने उपरोक्त दलीलों को दोहराया और प्रस्तुत किया कि यह तथ्य है कि प्रथम प्रतिवादी-धन्नू प्रसाद सिंह को समानांतर कार्यवाही के अधीन किया गया था। अधिशासी से बर्खास्तगी का जुर्माना लगाने में 04.12.2008 को विभागीय कार्यवाही की गई है। हालाँकि, इसे प्रथम प्रतिवादी-धनू प्रसाद सिंह को सूचित नहीं किया गया था और यह केवल 2019 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 11458 के लेखन के दौरान ही बताया गया था। इस प्रकार, 2019 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 11458 में पारित दिनांक 04.12.2018 के बर्खास्तगी आदेश की वैधता पर सवाल उठाने में देरी हो रही है। गुण-दोष के आधार पर रिट याचिका को अनुमति देते समय विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा कोई त्रुटियां नहीं की गई है।इस संबंध में उन्होंने पृष्ठ संख्या.9 एकल न्यायाधीश के 12.07.2021 दिनांकित आदेश का इस हद तक कि एकल न्यायाधीश ने

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दो फैसलों पर ध्यान दिया है, **भारत संघ और अन्य बनाम तारसेन सिंह के मामले में (2008) 8 एस. सी. सी. 648 और भारत संघ और अन्य बनाम एस.एच. सी. गोयलए. आई. आर. 1964 एस. सी. 364** में रिपोर्ट किया गया। इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में कोई दुर्बलता नहीं है। इसलिए, 2019 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 11458 में पारित दिनांक 12.07.2021 के विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि करते हुए वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील को खारिज किया जा सकता है।

7. संबंधित पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ताओ की सलाह सुनी।

8. निर्विवाद तथ्य यह है कि प्रथम प्रतिवादी-धनू प्रसाद सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक और आपराधिक कार्यवाही की गई थी। प्रथम प्रतिवादी-धन्नू प्रसाद सिंह को 04.12.2008 को बर्खास्त करने का जुर्माना लगाने में अनुशासनात्मक कार्यवाही का समापन किया गया था, जबकि आपराधिक कार्यवाही में उन्हें 06.05.2019 को बरी कर दिया गया था। प्रथम उत्तरदाता-धनू प्रसाद सिंह इस धारणा में थे कि वे सामान्य पाठ्यक्रम में 02.01.2010 को सेवानिवृत्त हुए होंगे जैसे कि सेवा से बर्खास्तगी का कोई आदेश नहीं है। उन्होंने वर्ष 2019 में सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में इस अदालत से इस हद तक संपर्क किया है कि उन्हें आपराधिक कार्यवाही समाप्त होने के बाद ही सेवानिवृत्ति लाभ मिलते।

9. जो भी हो, प्रथम प्रतिवादी-धनू प्रसाद सिंह ने इस न्यायालय को सूचित नहीं किया है कि क्या उन्होंने 04.12.2008 से 02.01.2010 तक की मध्यवर्ती अवधि के दौरान अपने द्वारा धारण किए गए पद के कर्तव्यों का निर्वहन किया है और यह मानते हुए कि उन्हें 28.07.2004 से निलंबित कर दिया गया था। क्या उन्हें 02.01.2010 तक निलंबन के तहत रखा गया था, जिस तारीख को उन्हें सामान्य रूप से अवकाश प्राप्त करना था, ताकि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि बर्खास्तगी का आदेश दिनांक 04.12.2008 को धनू प्रसाद सिंह को सूचित नहीं किया गया है और आगे अगर उन्हें उस घटना में निलंबन के

तहत रखा गया था, जिस तारीख तक निर्वाह भत्ता का भुगतान किया गया था, अगर इसका भुगतान किया गया था, तो उसे सेवा से बर्खास्तगी की तारीख अर्थात, 04.12.2008, से बंद कर दिया जाना चाहिए था। प्रथम उत्तरदाता एक अधिकारी होने के नाते, वह यह तर्क नहीं दे सकता कि उसे लगभग एक दशक और कुछ महीनों से 04.12.2008 दिनांकित बर्खास्तगी आदेश के बारे में पता नहीं था। इस संबंध में कोई सामग्री अभिलेख पर नहीं रखी गई है। इसके अलावा, अंतर्वर्ती आवेदन सहित रिट अभिवचनों के अवलोकन में जहां तक बर्खास्तगी आदेश को चुनौती देने की बात है, देरी और अड़चनों के संबंध में कोई सामग्री नहीं थी। इसके अलावा, वर्ष 2010 से 2021 तक कोई स्पष्टीकरण या प्रस्तुति नहीं है कि उन्हें बर्खास्तगी आदेश के बारे में क्यों पता नहीं था। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बर्खास्तगी का आदेश उसे जारी नहीं किया गया था और साथ ही उसे अपीलकर्ता-निगम से कुछ मौद्रिक लाभ मिल रहे थे जैसे कि जब वह इस तथ्य से अवगत होता है कि उसे निलंबन दिनांक 28.07.2004 और बर्खास्तगी आदेश दिनांक 04.12.2008 की मध्यवर्ती अवधि के दौरान निर्वाह भत्ता नहीं दिया गया था, तो वह इस मामले पर सो गया है या जानबूझकर चुप रहा है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने उपरोक्त सामग्री सूचना पर ध्यान नहीं दिया है। इसके अलावा, विद्वान एकल न्यायाधीश ने पूर्व न्यायाधीश के लिए त्रुटियां की है कि प्रत्यर्थी के बर्खास्तगी आदेश के संबंध में कार्रवाई के निरंतर कारण का संबंध है, कार्रवाई के निरंतर कारण का सवाल आवश्यक नहीं है। दूसरे शब्दों में, इसने अंतिम रूप प्राप्त कर लिया है और उद्धृत निर्णय के आधार पर प्रथम प्रतिवादी-धनू प्रसाद सिंह को कोई मौद्रिक लाभ नहीं दिया जाना चाहिए और यह कर्मचारी के मौद्रिक लाभों को जारी करने के संबंध में है यदि उसने न्यायिक मंच से देर से संपर्क किया है। दूसरे शब्दों में, ऐसे मामलों में कार्रवाई का कारण बनता है, उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी को वर्षों के लिए एक साथ निलंबित कर दिया गया है, यदि उसे उस स्थिति में निर्वाह भत्ता नहीं दिया जाता है, तो कार्रवाई का कारण इस हद तक उत्पन्न होगा कि वह हर महीने निर्वाह भत्ता का हकदार है।

इसी तरह, सेवानिवृत्त कर्मचारी के मामले में, यदि उस स्थिति में लगभग कुछ महीनों के लिए पेंशन से इनकार कर दिया जाता है, तो वह पेंशन का लाभ प्राप्त करने का हकदार है क्योंकि यह इस हद तक कार्रवाई का कारण बना रहेगा कि वह हर महीने पेंशन का हकदार है। इस तरह का सिद्धांत बर्खास्तगी के संबंध में आकर्षित नहीं है। निर्विवाद रूप से, बर्खास्तगी का आदेश दिनांकित 04.12.2008 है और इस पर वर्ष, 2021 में एक लंबित रिट याचिका में सवाल उठाया गया था, जिसका नाम 2019 की सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 11458 है, जिसमें शुरू में प्रथम प्रतिवादी-धन्नू प्रसाद सिंह द्वारा सेवानिवृत्ति लाभ की मांग की गई है। **जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम आर.के.ज़लपुरी और अन्य ए.आई.आर. 2016 सर्वोच्च न्यायालय 3006** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

> ***"20.****इस प्रकार कहने के बाद, नगर और औद्योगिक विकास निगम बनाम दोसू आर्देशिर भिंदीवाला और अन्य के एक अंश का उल्लेख करना उपयोगी है, जिसमें इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायशास्त्र पर विचार करते हुए इस प्रकार व्यक्त किया हैः-*
>
> *"न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए इस बात पर विचार करने के लिए कर्तव्यबद्ध है कि क्याः(ए) रिट याचिका के निर्णय में तथ्यों के कोई भी जटिल और विवादित प्रश्न शामिल हैं और क्या उन्हें संतोषजनक रूप से हल किया जा सकता है;*
>
> *(बी) याचिका सभी भौतिक तथ्यों को प्रकट करती है;*

(सी) याचिकाकर्ता के पास विवाद के समाधान के लिए कोई वैकल्पिक या प्रभावी उपाय है;

(डी) <u>अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने वाला व्यक्ति अस्पष्टीकृत देरी और बाधाओं का दोषी है;</u>

(ई) सीमा के किसी भी कानून द्वारा प्रतिबंधित;

(एफ) राहत देना सार्वजनिक नीति के खिलाफ है या किसी वैध कानून और कई अन्य पहलुओं द्वारा वर्जित है।

(जोर दिया गया)

10. रिट याचिका पर विचार करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों में से एक, रिट कोर्ट को देरी और बाधाओं की जांच करने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, वर्तमान मामले में जहां तक वर्ष 2021 में प्रथम प्रतिवादी-धनू प्रसाद सिंह द्वारा दिनांकित 04.12.2008 को बर्खास्तगी आदेश को चुनौती दी गई थी, इसमें देरी और अड़चनें हैं और इसकी व्याख्या नहीं की गई है ताकि इस पर विचार किया जा सके। विद्वान एकल न्यायाधीश ने वर्ष 2021 में दिनांकित 04.12.2008 को बर्खास्तगी आदेश और पूछताछ को चुनौती देने के संबंध में एक दशक से अधिक समय से देरी और विलंब की व्याख्या नहीं की है।

11. इन तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने 2019 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 11458 को 12.07.2021 को निर्णय लेने की अनुमति देने में त्रुटियां की है। तदनुसार, अपीलकर्ता-निगम ने 2021 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 11458 में पारित दिनांक 12.07.2021 के विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए एक मामला बनाया है और इसे 2019 के सी. डब्ल्यू. जे. सी.

संख्या 11458 को खारिज करते हुए 2202/ के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 11458 को दरकिनार कर दिया गया है। तदनुसार, 2021 का एल. पी. ए. संख्या 488 की अनुमति दी जाती है।लंबित अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हो, का निष्पादन कर दिया जाता है।

(पी. बी. भजंत्री,न्यायमूर्ति)

(रमेश चंद मालवीय, न्यायमूर्ति)

विकास/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।